प्रेस विज्ञप्ति

25.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2025 को मेघालय और असम राज्यों में जादिगिट्टिम, नोंगलबिबरा, जादुगोफा (बोबगाईगांव), मार्ग्रिटा (तिनसुकिया) और गुवाहाटी में स्थित 15 परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय राज्य में चल रहे अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संबंध में तलाशी ली।

तलाशी के दौरान, डायरी/लेजर सहित डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें यह पता चला कि पिछले दशक में खनन पर प्रतिबंध के बावजूद, अवैध खननकर्ताओं के लिए किसी भी सुरक्षा के बिना अमानवीय परिस्थितियों में अवैध रूप से रैट होल खनन बड़े पैमाने पर किया जा रहा था।

ईडी ने आईपीसी, 1860 एमएमडीआर अधिनियम, 2015, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1883 और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत शालंग, मेघालय में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

तलाशी के दौरान पाया गया कि मैनेजर, सरदार और मजदूर अनगढ़(आदिम) औजारों का इस्तेमाल करके जादिगिटिम, साउथ गारो हिल्स के इलाके में अवैध कोयला खनन में लगे हुए थे। यह पाया गया कि एरा एनिंग और गोरेंग इलाके में करीब 20 खदानें अवैध रूप से चल रही हैं। कुछ मजदूरों को उनकी पहचान/राष्ट्रीयता के संदेह पर मामले की जांच के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि मेघालय और असम के लोगों का एक सिंडिकेट यह सुनिश्चित करने का प्रभारी है कि अवैध कोयले से भरे ट्रक मेघालय की सीमाओं को पार कर बिना किसी जांच/प्रतिबंध के असम में प्रवेश करें, जहां इसे कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले के रूप में दिखाने के लिए कागजात तैयार किए जाते हैं। सिंडिकेट कमीशन/संरक्षण के नाम पर खदान मालिकों से प्रति ट्रक 1.27 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये नकद वसूलता था। अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को असम के जोगीघोपा स्थित डिपो में संग्रहीत किया जाता था। इसके बाद इसे सीमेंट उद्योग, ईंट भट्ठा, लोहा और इस्पात उद्योग और अवैध कोक संयंत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में ले जाया जाता था। अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का कुछ हिस्सा सीधे पूर्वोत्तर क्षेत्र के डिपो से अवैध कोक संयंत्र में ले जाया जाता था।

यह भी पता चला है कि असम के जोगीघोपा में डिपो चलाने वाले लोग भी फर्जी बिल/चालान के इस कारोबार में शामिल हैं, जिसके जरिए अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को असम में कुछ कानूनी रूप से संचालित खदानों से खरीदा गया दिखाया जाता है, जिससे यह वास्तविक व्यापारिक लेनदेन जैसा लगता है। अधिकांश लेन-देन इन ऑपरेटरों के माध्यम से नकद में होते हैं और इसके लिए फर्जी बिल/चालान तैयार किए जाते हैं ताकि इसे वास्तविक लेनदेन का रंग दिया जा सके।

यह भी पता चला है कि इस प्रक्रिया में उत्पन्न नकदी को सिंडिकेट द्वारा एकत्र किया गया था और नकदी संचालकों के स्थानों पर संग्रहीत किया जा रहा था। इन नकदी संचालकों की तलाशी ली गई और नकदी के लेन-देन वाली डायरी भी जब्त की गई। यह भी पता चला है कि कोयला खदान मालिक और सिंडिकेट के लोग मार्गरीटा तिनसुकिया में अवैध कोयला खदान संचालकों के साथ समन्वय करते थे ताकि यह लगे कि यह वैध रूप से प्राप्त खदानों से खनन किया गया है।

जब्त किए गए दस्तावेजों और प्रबंधकों, खदान मालिकों और मजदूरों के बयान से पता चला कि हर खदान से प्रतिदिन 5-7 ट्रक लोड किए जाते थे। प्रत्येक ट्रक में 12-16 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला होता था। इसलिए, दक्षिण गारो हिल्स के एरा एनिंग और गोरेंग क्षेत्र से प्रतिदिन अवैध रूप से खनन किए गए कोयले का अनुमान लगभग 5*12*20 = 1200 टन प्रतिदिन (लगभग) है। खदान मालिकों को सभी खर्चों का ध्यान रखने के बाद शुद्ध लाभ के रूप में प्रति ट्रक 5000-10000 रुपये मिलते थे।

तलाशी के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की नकदी, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण और दो महंगी गाड़ियां जब्त की गईं, जिनके बारे में संदेह है कि इन्हें अपराध की आय से खरीदा गया है।

आगे की जांच जारी है।